न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री पूजा मीना, आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या –78 / 2025
दायर दिनांक –30.04.2025

उनवान

लड्डू पुत्र हरनारायण जाति मीना निवासी बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक राज0
– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील अलीगढ जिला टोंक राज0
– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामस्वरूप मीना उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार अलीगढ की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 17.11.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 332 खसरा संख्या 1021, 1023, 1040, 1053, 1272, 1274, 1275, 2480, 722, 723, 724, 760, 761 कुल किता 13 कुल रकबा 0.83है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम लड्डू पुत्र हरनारायण है, जो कि प्रार्थी के आधारकार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचानपत्र, बैंकबचत खाता, जनाधार कार्ड व अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम लड्डू पुत्र हरनारायण के स्थान पर सहवन से लड्डू पुत्र हजारी दर्ज हो गया है, इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि पर केसीसी बनवाने, सरकारी अनुदान प्राप्त करने व समर्थन मूल्य में कृषि उपज विक्रय करने इत्यादि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 332 खसरा संख्या 1021, 1023, 1040, 1053, 1272, 1274, 1275, 2480, 722, 723, 724, 760, 761 कुल किता 13 कुल रकबा 0.83है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक में प्रार्थी का नाम लड्डू पुत्र हजारी के स्थान पर लड्डू पुत्र हरनारायण अंकित करते हुए राजस्व रिकार्ड दूरूस्त करने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी तहसीलदार अलीगढ को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षी तहसीलदार अलीगढ की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम बिलोता में प्रार्थी के पिताजी हरनारायण व हजारी जाति मीना दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः ग्राम बिलोता के खाता संख्या 332 खसरा संख्या 1021, 1023, 1040, 1053, 1272, 1274, 1275, 2480, 722, 723, 724, 760, 761 कुल किता 13 कुल रकबा 0.83है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक में प्रार्थी का नाम लड्डू पुत्र हजारी के स्थान पर लड्डू पुत्र हरनारायण किये जाने से राजकीय कोष को कोई हानि नहीं हो रही है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 10.11.2025 को पेश हुयी। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार अलीगढ की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 332 खसरा संख्या 1021, 1023, 1040, 1053, 1272, 1274, 1275, 2480, 722, 723, 724, 760, 761 कुल किता 13 कुल रकबा 0.83है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक में प्रार्थी का नाम लड्डू पुत्र हजारी के स्थान पर लड्डू पुत्र हरनारायण अंकित करते हुए राजस्व रिकार्ड दूरूस्त करने का आदेश फरमाया जावे। पेरोकार सरकार द्वारा दोहराने बहस कथन किया गया कि ग्राम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला टोंक सत्यमेव जयते

136.426

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा ...टोंक

बिलोता में प्रार्थी के पिताजी हरनारायण व हजारी जाति मीना दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः ग्राम बिलोता के खाता संख्या 332 खसरा संख्या 1021, 1023, 1040, 1053, 1272, 1274, 1275, 2480, 722, 723, 724, 760, 761 कुल किता 13 कुल रकबा 0.83है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक में प्रार्थी का नाम लड्डू पुत्र हजारी के स्थान पर लड्डू पुत्र हरनारायण किया जाना उचित है। प्रार्थी का नाम लड्डू पुत्र हजारी के स्थान पर लड्डू पुत्र हरनारायण किये जाने से राजकीय कोष को कोई राजकीय हानि नहीं हो रही है।

प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070–74 खाता संख्या 332 खसरा संख्या 1021, 1023, 1040, 1053, 1272, 1274, 1275, 2480, 722, 723, 724, 760, 761 कुल किता 13 कुल रकबा 0.83है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक, प्रार्थी के आधार कार्ड आदि का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070–74 खाता संख्या 332 कुल किता 13 कुल रकबा 0.83है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक में लड्डू पुत्र हजारी के स्थान पर लड्डू पुत्र हरनारायण दर्ज किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तहसीलदार अलीगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या 332 खसरा संख्या 1021, 1023, 1040, 1053, 1272, 1274, 1275, 2480, 722, 723, 724, 760, 761 कुल किता 13 कुल रकबा 0.83है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक में प्रार्थी का नाम लड्डू पुत्र हजारी के स्थान पर लड्डू पुत्र हरनारायण दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार अलीगढ को तहरीर जारी हों।

यह निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला-टोंक
सत्यमेव जयते

पूजा मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned with CamScanner